

आवेदन का प्रपत्र
(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - II) प्रमाण पत्र हेतु)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :-
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :-
3	मोबाईल नं० (यदि हो तो) :-
4	जन्म तिथि :-
5	पुरुष () महिला () ट्रांसजेंडर ()
6	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) (उल्लेख करें) :-
7	उपजाति :-
8	धर्म :-
9	आवासीय पता :-
(क)	स्थाई पता :- गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन _____ राज्य _____
(ख)	वर्तमान पता :- गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन _____ राज्य _____
10	पिता का नाम :-
11	पिता की जाति :-
12	माता का नाम :-
13	पति का नाम :-
14	पति की जाति :-
15	झारखण्ड राज्य की सूची में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) का क्रमांक:- संकल्प संख्या :- (राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/माता का हस्ताक्षर
(पिता/माता का नाम :- _____)
(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नोट :-

1. आवेदक की जाति वही मानी जाएगी जो उसके पिता की जाति है।
2. आवेदक के अवयस्क होने की दशा में आवेदन उनके माता/पिता के द्वारा समर्पित किया जा सकेगा।
3. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य प्रयोजनार्थ के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा, जिसमें क्रीमीलेयर-रहित प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।